UPJL050006052022

Presented on : 17-11-2022
Registered on : 17-11-2022
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D) AT ,Jalaun
Presided Over by Sri Mahendra Kumar Rawat

Original Suit/372/2022

न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0),जालौन स्थान उरई।

मूलवाद संख्या– /2022

दीपक सुहाने बनाम श्रीमती सीता किशोरी आदि।

CNR No-UPJL050006052022
J.O.Code No.-UP1820

1–संस्थित दिनांकः 17.11.2022
2–वादी अधिवक्ता–श्री प्रमोद कुशवाहा, एडवोकेट,
3–वाद का प्रकार–स्थायी निषेधाज्ञा,
4–वाद का मूल्यांकन–20,00,000/–रू0

दिनांकः 17.11.2022

मुंसरिम आख्या अवलोकित। आधार पर्याप्त हैं। अतः दर्ज रजिस्टर मूलवाद हो। प्रतिवादी को सम्मन जारी हो। इस बाबत पैरवी अविलम्ब की जाये। पत्रावली वास्ते प्रतिवादपत्र दिनांक 13.12.2022 तथा वाद बिन्दु हेतु दिनांक 20.12.2022 को पेश हो।

(महेन्द्र कुमार रावत)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।

क्रमशः

वादी के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग–2 मय शपथ पत्र 7ग–2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी ने प्रार्थना पत्र 6ग–2 के माध्यम से प्रार्थना की है कि दौरान मुकदमा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वह प्रश्नगत रहायसी मकान जिसे अक्षर ए,बी,सी,डी, से प्रदर्शित किया गया है, पर बिना विभाजन कराये प्रतिवादीगण प्रश्नगश्त मकान के किसी विशिष्ट भाग का विक्रय कर या दानपत्र कर या इकरारनामा कर या किसी अन्य तरह से हस्तांतरित कर अथवा अन्य किसी तरह से क्षतिग्रस्त कर मूल्यवान सम्पत्ति को दौरान वाद नष्ट न करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादी की ओर से सूची 12ग से कागज संख्या 13ग प्रमाणित प्रति सिवल अपी संख्या 69/16 दीपक सोहाने बनाम सौरभ सोहाने में पारित आदेश दिनांकित 12.03.2020, कागज संख्या 14ग मूलवाद संख्या 263/13 में पारित आदेश दिनांकित 30.07.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 15ग प्रार्थना पत्र,`कागज संख्या 16ग नकल असिस्मेण्ट, कागज संख्या 17ग छाया प्रति आधार कार्ड प्रस्तुत किये गये हैं।

वादी, प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भाई है। पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत बिना प्रतिवादीगण को सुने वादी के पक्ष में एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण 6ग–2 दिनांक 20.12.2022 को पेश हो। वादीगण, प्रतिवादीगण पर तामीला हेतु पैरवी अविलम्ब करें।

(महेन्द्र कुमार रावत)

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR RAWAT
Date: 2022.11.18 16:04:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।

<u>कमशः</u>

9ग–2 न्यायालय अमीन नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा विवादित स्थल का नक्शा नजरी मय आख्या तलब करने की याचना की है।

अतः आधार पर्याप्त हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 9ग–2 वास्ते अमीन कमीशन, स्वीकार किया जाता है। पैरवी अविलम्ब हो। बाद पैरवी न्यायालय अमीन को 9ग–2 के प्रकाश में नियमानुसार परवाना जारी किया जाये। न्यायालय अमीन को आदेशित किया जाता है, कि उभयपक्ष को सूचित करने के उपरान्त मौके की आख्या मय स्केली नक्शा नियत दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(**महेन्द्र कुमार रावत**)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।